न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय) सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र संख्या:– /2018

1. देव प्रकाश पुत्र पांचूराम जाति मीणा निवासी– ए–39, प्रेम कॉलोनी, मीणा नर्सरी, सूर्य नगर, तारो की कूट, टोंक रोड, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. जयनारायण पुत्र रामसहाय
2. जगदीश पुत्र रामसहाय

समस्त जाति मीणा निवासीगण– ग्राम बास बीलवा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् कायमी पुख्ता सीमा चिन्ह अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956.

निर्णय

दिनॉक 7/2/2019

सक्षेप मे प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत कायमी पुख्ता सीमा चिन्ह अर्न्तगत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनयम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की अभिलिखित खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अन्य भूमियों के अलावा भूमि वादग्रस्त खसरा नंबर 584 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 585 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 659 रकबा 0.04000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 660 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 661 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 662 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 663 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 665/1179 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 563 रकबा 0.8600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 563/1178 रकबा 0.3500 हैक्टेयर ग्राम बास बीलवा उर्फ सवाई जयसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की अभिलिखित खातेदारी एवं कब्जे काश्त की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 584, 585, 659 लगायत 664 की पश्चिमी दिशा की सीमा जोड़ी

(जगत राजेश्वर)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण की अभिलिखित खातेदारी की भूमि वादग्रस्त खसरा नंबर 665,665/1196 स्थित है तथा प्रार्थी की अभिलिखित खातेदारी एवं कब्जे काश्त की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 665/1179, 563/1178 व 563 की दक्षिण दिशा की ओर अप्रार्थीगण की अभिलिखित खातेदारी की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 563/1128 व 665/1196 स्थित है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 584, 585, 659 लगायत 664 की पश्चिमी दिशा की तथा भूमि खसरा नंबर 665/1179, 563/1178 व 563 की दक्षिण दिशा की सीमा को खाम मिटटी की डोल से महदूद व महफूज कर रखा है। दिनांक 01.07.2018 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की नामौजूदगी में प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 584, 585, 659 लगायत 664 की पश्चिमी दिशा व भूमि खसरा नंबर 665/1179, 563/1178 व 563 की दक्षिण दिशा की सीमाओं पर लगी हुई खाम डोल को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 665 व 665/1196 की पश्चिम दिशा व दक्षिणी दिशा व उत्तरी दिशा की सीमा के अन्दर मानते हुए अवैध रूप से तोड दी। दिनांक 02.07.2018 को प्रार्थी अपनी खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की वादग्रस्त भूमि को उक्त वर्णित दिनांक को सम्भालनें गया तो प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि की पूर्वी दिशा की सीमा पर लगी हुई मिटटी की डोल टूटी हुई देखी तो पुछताछ करने पर पता चला की अप्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 01.07.2018 को उक्त जबरन मिटटी की डोल को तोड दी गई। प्रार्थी शान्तिप्रिय व कानून में विश्वास रखने वाल न्यायप्रिय व्यक्ति है जो अप्रार्थीगण की किसी भी अवैधानिक कार्यवाहीयों का मुकाबला करने में असमर्थ है। प्रार्थी अधिकारी है कि वे अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 584, 585, 659 लगायत 664 पश्चिमी दिशा एवं भूमि खसरा नंबर 665/1179, 563/1178 व 563 की दक्षिण दिशा ओर की सीमाओं पर स्थाई सीमा चिन्ह कायम करावें जिसमें प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि की सीमा महदूद व महफूज हो सकें। प्रार्थी को वाद कारण अप्रार्थी के द्वारा दिनांक 01.07.2018 को की गई अवैध व मनमानी कार्यवाही से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार का अनुतोष प्रदान करें:–(अ) यह कि ग्राम बास बीलवा उर्फ सवाई जयसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 584, 585, 659 लगायत 664 की पश्चिमी दिशा एवं भूमि खसरा नंबर 665/1179, 563/1178 व 563 की दक्षिण दिशा की ओर की सीमाओं पर स्थाई सीमा चिन्ह कायम करावें तथा तारबन्दी व ब्राउन्डीवाल की अनुमति प्रदान करें। (ब) यह कि मान्य न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि पूर्वी

(जगत राजेश्वर)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned by CamScanner

पश्चिमी व दक्षिणी दिशा की सीमाओं पर अप्रार्थीगण का अतिक्रमण पाया जावें तो वह हटवाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा उनके विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व सुसंगत विधि का अवलोकन किया हमारे मत मे प्रार्थीगण जमाबन्दी के अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा विधि अनुसार खातेदार को विधिक अधिकार है कि वह अपनी भूमि की सीमाज्ञान करवा सकता है तथा पुख्ता सीमा चिन्ह स्थापित करवा संकता है।

अत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बास बीलवा उर्फ सवाई जयसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 584, 585, 659 लगायत 664 की पश्चिमी दिशा एवं भूमि खसरा नंबर 665/1179, 563/1178 व 563 की दक्षिण दिशा की ओर की सीमाओं पर जमाबन्दी व नक्शे के अनुसार स्थाई सीमा चिन्ह कायम करावें तथा प्रार्थीगण को अनुमति दी जाती है कि सीमा चिन्ह कायम होने के उपरान्त सीमा पर बाउन्ड्री व तारबन्दी करवा लेवे यदि प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी दिशा की सीमाओं पर अप्रार्थीगण का अतिक्रमण पाया जावें तो वह हटवाया जावें तथा आदेश की पालना मे किसी व्यक्ति द्वारा कोई व्यवधान पैदा की जावे तो पुलिस इमदाद की आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त कर आदेश की पालना सुनिश्चित करावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को अबिलम्ब तहरीर जारी कि जावे।

(जगत राजेश्वर)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned by CamScanner